

तारीख  
हुकम

५/6/२६

पत्रावली पेश हुई / प्राप्ति अधिवक्ता  
 अनुपास्मित / प्राप्ति अधिवक्ता द्वारा  
 लंबे समय से प्रकरण में पेश नहीं कर  
 रहे हैं। इसके द्वारा केवल न्यायालय  
 समझ जाता किमा जा रहा है। प्रकरण  
 वर्ष २०१३ से लंबित है। अतः इससे प्रतीत  
 होता है प्राप्ति अधिवक्ता द्वारा विभिन्न  
 प्रकार के प्रार्थना पत्र पेश कर केवल  
 न्यायालय समझ जाता किमा जा रहा  
 है। अतः प्राप्ति द्वारा पेश किमा गया प्रार्थना  
 पत्र खारिज किमा जाता है। पत्रावली फंसल  
 नुमार होकर दाखिल यत्तर है।

